

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 08/2021

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ।

—बनाम—

राजेश कुमार पुत्र शंकर लाल स्वामी, निवासी वार्ड नं0 2 सिंघाना, पुलिस थाना सिंघाना,
जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) —————सरकार की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 03.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ने दिनांक 01.01.2021 को गैर सायल राजेश कुमार पुत्र शंकर लाल स्वामी, निवासी वार्ड नं0 2 सिंघाना, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि राजेश कुमार पुत्र शंकर लाल स्वामी, निवासी वार्ड नं0 2 सिंघाना, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। जो अब्बल दर्जे का जुआरी है तथा गुट बनाकर गेमलिंग करता है। इसने कस्बा सिंघाना व आस-पास के इलाके में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 2 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

5/11/21
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू



1. अभियोग संख्या 245/17 दिनांक 17.11.17 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सिंघाना, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 178 दिनांक 22.11.2017 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

2. अभियोग संख्या 112/18 दिनांक 21.05.18 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना सिंघाना, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 63 दिनांक 25.05.18 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त राजेश कुमार पुत्र शंकर लाल स्वामी, निवासी वार्ड नं० 2 सिंघाना, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 14.09.2021 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना सिंघाना, झुंझुनू में 2 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा दोनों ही प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक राजेश कुमार पुत्र शंकर लाल स्वामी, निवासी वार्ड नं० 2 सिंघाना, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू के खिलाफ पुलिस थाना सिंघाना, झुंझुनू में कुल 2 अभियोग दर्ज हुए तथा गैर सायल दोनों ही अभियोगों में न्यायालय द्वारा

11/11/21
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

जुर्माने से दण्डित हुआ है। अतः गैर सायल राजेश कुमार राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (II) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल राजेश कुमार पुत्र शंकर लाल स्वामी, निवासी वार्ड नं0 2 सिंघाना, पुलिस थाना सिंघाना, को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैरसायल राजेश कुमार पुत्र शंकर लाल स्वामी, निवासी वार्ड नं0 2 सिंघाना, पुलिस थाना सिंघाना, को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना राजगढ, जिला चुरू निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल राजेश कुमार पुत्र शंकर लाल स्वामी, निवासी वार्ड नं0 2 सिंघाना, पुलिस थाना सिंघाना, उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस राजगढ, जिला चुरू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थानाधिकारी पुलिस थाना सिंघाना को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना सिंघाना झुन्झुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

31/07
अति. जिला धातु
झुन्झुनू

यह निर्णय दिनांक 03.12.2021 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।



(जगदीश प्रसाद गोड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गोड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू